न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 16/2021

दायरा दिनांक :— 01—09—2021

अपीलाण्टः—	बनाम	रेस्पोडेंट्सः—
1. श्री देवीसिंह पुत्र श्री उमरदान जाति चारण, निवासी ग्राम अणेवा, तहसील देसूरी, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार, देसूरी द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 57/2021 अनवान सरकार बनाम श्री देवीसिंह में पारित आदेश दिनांक 18.08.2021

—:निर्णयः— दिनांक 17/11/2021

1. अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टर किस्म बारानी दोयम/गैर मुमकिन पहाड़ भूमि स्थित हैं जिस पर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से एकमात्र कब्जा—काश्त भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट का था, रहा एवम् आज भी मौके पर अपीलाण्ट काबिज रह उक्त आराजी में अपीलाण्ट द्वारा खोदा कुआ मौके पर मौजूद हैं जिससे अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य कर अपना एवम् अपने परिवार का कृषि कार्य से होने वाली आय से भरण—पोषण करता हैं एवम् उक्त आराजी में अपना रहवासीय मकान मय मवेशी एवम् कृषि कार्य हेतु औजार (हल, कल्टी, ट्रोली इत्यादि) एवम् मवेशी का चारा एवम् फसल को रखने हेतु लौहे के चद्दरों के पुराने ढालिये बनाये गये मौके पर मौजूद हैं। उक्त आराजी काबिल काश्त होने से कृषि कार्य से होने वाली आय मे से बचत कर लाखों रूपये लागत लगाकर अपीलाण्ट द्वारा काबिल काश्त बनाया गया हैं। अपीलाण्ट उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करता था, रहा एवम् आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करता हैं। मौके पर अपीलाण्ट की उक्त आराजी मे ज्वार की फसल बोई हुई हैं जिससे राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2008 मय दीगर परिपत्रों अनुसार उक्त आराजी बहक अपीलाण्ट काबिल नियमन के थी, रही व कानूनन् हैं। अपीलाण्ट की ओर से अदालत मातेहत के समक्ष अपना जवाब पेशकर उक्त आराजी माफिक राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की मंशानुसार उक्त आराजी भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट को नियमन किये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत मातेहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ नोटिस जारी करते हुये बिना अपीलाण्ट को पर्याप्त जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये एवम् दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना एवम् मौके की जांच किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को अहम सत्य मानते हुए एक ही दिन में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा करते हुए बिना रेकर्ड पर लिये कानून की मंशा के खिलाफ राजस्व रेकर्ड के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी से लगान की दर 32/— रूपये प्रति हैक्टर तय करते हुए अदालत मातेहत द्वारा उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं जुर्माना 1600/— रूपये वसूलने का आदेश जैर अपील सादिर करने में कानूनी एवं वाक्याती गम्भीर भूल की हैं। जिससे अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश दिनांक 18.08.2021 कानूनन् काबिल निरस्त के हैं। उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा होने बाबत् वास्ते साक्ष्य हेतु खसरा परिवर्तनशील संवत् 2050 से अब तक की नकलें प्रमाणित पेश हैं।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

2. यह हैं कि आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी का लगान 5/– रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित होने से उक्त लगान का 50 गुणा तक का जुर्माना अपीलाण्ट के विरूद्ध अदालत मातेहत लगाने हेतु कानूनन् सक्षम होती हैं जिस कानून की अहम स्थिति के विपरीत बिला अधिकार क्षेत्र के आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी का लगान अदालत मातेहत द्वारा अपनी मनमर्जी से उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड के बाहर जाकर 32/– रूपये प्रति हैक्टेयर लगान तय करते हुये उक्त 32/– रूपये का 50 गुणा 1600/– रूपये अपीलाण्ट से वसूलने हेतु निस्बत् अदालत मातेहत द्वारा आदेश जैर अपील सादिर किया हैं, जो आदेश अदालत मातेहत का बिला अधिकार क्षेत्र के होने से आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

3. यह हैं कि अदालत मातेहत आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व अपीलाण्ट को बिना मुकमिल जवाब शहादत सुनवाई का अवसर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार दिया जाना कानून की मंशानुसार आवश्यक एवं लाजमी था व हैं। जिस सुनवाई की आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील पारीत किया हैं वह कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

4. यह हैं कि उक्त आराजी काबिल नियमन बहक अपीलाण्ट होने से अदालत मातेहत को पत्रावली नियमन हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भेजी जाना कानून की मंशानुसार आवश्यक एवं लाजमी था, लेकिन अदालत मातेहत द्वारा कानूनी प्रावधानों एवं राज्य सरकार के परिपत्रों की अवहेलना करते हुये सादिर आदेश जैर अपील जारी किया, जो कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

5. यह हैं कि अदालत मातेहत द्वारा आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व सिवाय चक भूमियों के नियमन बाबत् समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों पर बिना विचार किये जो अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश जैर अपील सादिर किया है उससे पूर्व अदालत मातेहत को नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों पर विचार किया जाना कानून की मंशानुसार आवश्यक था, जिसकी जानकारी अदालत मातेहत को अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाब दिनांक 18.8.2021 के जरिये दी जा चुकी थी, परन्तु अदालत मातेहत द्वारा अपीलाण्ट के जवाब को अनदेखा करते हुये एवं उक्त जवाब को अदालत मातेहत द्वारा अपने आरेश दिनांक 18.8.2021 में रेकर्ड पर लिये बिना तथा विवेचन किये बिना अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश जैर अपील सादिर करने मे कानूनी गम्भीर भूल की हैं, जिससे भी आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

अतः अपीलाण्ट की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश दिनांक 18.8.2021 को निरस्त फरमाते हुये अपील अपीलाण्ट मय खर्चा मंजूर फरमाई जावें तथा आदेश जैर अपील में वर्णित भूमि बहक अपीलाण्ट काबिल नियमन होने से पत्रावली भूमि आवंटन सलाहकार समिति को नियमन सिफारिश के साथ भेजने हेतु अदालत मातेहत को निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाई जावें।

6. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर विद्वान राजकिय अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

8. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 के कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 1.02 हैक्टर किस्म बारानी दोयम/गैर मुमकिन पहाड़ भूमि पर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से एकमात्र कब्जा–काश्त भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट का था, रहा एवम् आज भी मौके पर अपीलाण्ट काबिज रह उक्त आराजी में अपीलाण्ट द्वारा खोदा कुआ मौके पर मौजूद हैं जिससे अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य कर अपना एवम् अपने परिवार का कृषि कार्य से होने वाली आय से भरण–पोषण करता हैं एवम् उक्त आराजी में अपना रहवासीय मकान मय मवेशी एवम् कृषि कार्य हेतु औजार (हल, कल्टी, ट्रोली इत्यादि) एवम् मवेशी का चारा एवम् फसल को रखने हेतु लौहे के चद्दरों के पुराने ढालिये बनाये गये मौके पर मौजूद हैं। उक्त आराजी काबिल काश्त होने से कृषि कार्य से होने वाली आय मे से बचत कर लाखों रूपये लागत

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

लगाकर अपीलाण्ट द्वारा काबिल काश्त बनाया गया हैं। अपीलाण्ट उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करता था, रहा एवम् आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करता हैं।

9. उक्त आराजी बहक अपीलाण्ट काबिल नियमन के थी, रही व कानूनन् हैं। अपीलाण्ट की ओर से अदालत मातेहत के समक्ष अपना जवाब पेशकर उक्त आराजी माफिक राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की मंशानुसार उक्त आराजी भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट को नियमन किये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत मातेहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ नोटिस जारी करते हुये बिना अपीलाण्ट को पर्याप्त जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये एवम् दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना एवम् मौके की जांच किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को अहम सत्य मानते हुए एक ही दिन में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा करते हुए बिना रेकर्ड पर लिये कानून की मंशा के खिलाफ राजस्व रेकर्ड के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी से लगान की दर 32/– रूपये प्रति हैक्टर तय करते हुए अदालत मातेहत द्वारा उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं जुर्माना 1600/– रूपये वसूलने का आदेश जैर अपील सादिर करने में कानूनी एवं वाक्याती गम्भीर भूल की हैं। जिससे अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश दिनांक 18.08.2021 कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

10. साथ ही अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट एक भूमिहीन काश्तकार हैं तथा अपीलाण्ट के पास उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 262 के कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी दोयम/गैर मुमकिन पहाड़ भूमि मे से रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं हैं, जिस पर अपीलाण्ट काश्त कर सके। अपीलाण्ट पिछले 50 वर्षो से भी अधीक समय से उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा हैं तथा अपीलाण्ट के परिवार का भरण–पोषण भी अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी पर काश्त कर उससे होने वाली आय से किया जाता हैं। ऐसी स्थिति में यदी उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल किया जाता हैं तो न सिर्फ अपीलाण्ट भूमिहीन होगा बल्कि अपीलाण्ट के परिवार को भी अपने भरण–पोषण में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलाण्ट की परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्रों एवं कानून की मंशानुसार उक्त भूमि बहक अपीलाण्ट काबिल नियमन होने से पत्रावली भूमि आवेदन सलाहकार समिति को नियमन सिफारिश के साथ भेजने हेतु तहसीलदार देसूरी को निर्देशीत करवाने की कृपा करावें।

11. प्रकरण में राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट श्री देवीसिंह पुत्र उमरदान, जाति चारण, निवासी अणेवा ने मौजा ग्राम लाम्पी, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ भूमि में से रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 57/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.8.2021 को अपीलाण्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.8.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

12. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते तहसीलदार को पूर्ण अधिकार हैं कि वे सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दे तथा किसी व्यक्ति द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाता हैं तो संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् विधिसम्मत बेदखली की कार्यवाही की जावे।

13. चुंकि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया हैं कि अपीलाण्ट एक भूमिहीन काश्तकार हैं तथा अपीलाण्ट के पास उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) के अलावा और कोई भूमि काश्त करने हेतु उपलब्ध नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी पर पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त कर अपना व अपने परीवार का भरण–पोषण किया जा रहा हैं। जिसके साक्ष्य हेतु अपीलाण्ट द्वारा खसरा परिवर्तनशील संवत् 2050 से अब तक की प्रमाणित नकलें अपील के साथ पेश की हैं। अतः ऐसी स्थिती में यदी अपीलाण्ट को उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) से बेदखल किया जाता हैं तो न सिर्फ अपीलाण्ट भूमिहीन होगा बल्कि अपीलाण्ट के परिवार को भी अपने भरण–पोषण में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

14. प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि अपीलाण्ट का उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) पर शांतिपूर्वक बिना काई दखलन्दाजी के लम्बे समय से कब्जा काश्त रहा हैं। जिससे उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त सिद्ध होता हैं तथा कब्जा काश्त के आधार पर अपीलाण्ट ने उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) पर काफि लागत लगाकर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया हैं, जिससे अपीलाण्ट को उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) से बेदखल नहीं किया जा सकता हैं। राज्य सरकार की भी यही मंशा हैं कि यदि किसी भूमिहीन काश्तकार का लम्बे समय से सिवायचक भूमि पर कब्जा काश्त होता हैं तो नियमानुसार प्रिमियम राशि प्राप्त कर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन/नियमन संबंधित भूमिहीन काश्तकार को किया जा सकता हैं। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जनकल्याण की भावना से प्रशासन गावों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाये जा रहे हैं जिसमें इस प्रकार के अनुतोष के प्रावधान विद्यमान हैं।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाति हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 57/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.8.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से अपास्त किया जाता हैं। तहसीलदार, ~~बाली~~ देसूरी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलाण्ट को मौके से बेदखल नहीं किया जाये तथा अपीलाण्ट से किसी प्रकार की जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाये। साथ ही तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता हैं कि राज्य सरकार की मंशानुसार एवं नियमन हेतु निर्धारित परिपत्रों अनुसार राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गावों संग अभियान में उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) का अपीलाण्ट को आवंटन हेतु नियमानुसार नियमन प्रस्ताव तैयार कर अपनी टिप्पणी के साथ संबंधित आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाना सुनिश्चित करे। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 17/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)